बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या पी.पी.एम. 123/2009 5830 /कृ0, पटना, दिनांक 24-12-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (1) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2010 11 से वित्तीय वर्ष 2014 15 तक कुल 5 वर्षों के लिए 7750.00 लाख रूपये (सतहत्तर करोड पचास लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष 2014 15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से 673.00 लाख रूपये (छः करोड़ तिहत्तर लाख रूपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2010 11 से वित्तीय वर्ष 2014 15 तक कुल 5 वर्षों के लिए 7750.00 लाख रूपये (सतहत्तर करोड पचास लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष 2014 15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से 673.00 लाख रूपये (छः करोड तिहत्तर लाख रूपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2010 11 से वित्तीय वर्ष 2014 15 तक कुल 5 वर्षों के लिए 7750.00 लाख रूपये (सतहत्तर करोड पचास लाख रूपये) लाख रूपये की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2010 11 से वर्ष 2014 15 में अब तक 7077 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। शेष 673 लाख रूपये इस राज्यादेश से विमुक्त किया जा रहा है।

3 उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत 673.00 लाख रूपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01 फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष 277 शिक्षा, मांग सं० 1, उपशीर्ष 0110 कृषि महाविद्यालय, पूर्णियां विपत्र कोड P2415012770110 राज्य योजना स्कीम कोड AGR 5041 अन्तर्गत विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसंपतियों के निर्माण में उपबंधित 2499.44 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि 673.00 लाख रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय के द्वारा बजट में उपबंधित मदों के अनुसार राशि का व्यय किया जायेगा। मदवार व्यय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

5 अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० 42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि महाविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप

D:\2013-14 Sanlekh (2014-15) Agriculture Colleges\Agri College Purnea.doc

अनिल कुमार

से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

8. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2010 को स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0 123/2009 के पृ0सं0-38/टि. पर प्राप्त है। विभागीय माननीय मंत्री की स्वीकृति 117/टि0 पर दिनांक 02.12.2012 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम 123/2009 के पृ0सं0 119/टि. पर दिनांक 09.12.2014 को प्राप्त है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग का डायरी सं0 240 दिनांक 16.06.2014 है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.12.14
(विश्वनाथ चौधरी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5830 /कृ0, पटना, दिनांक 24-12-2014

प्रतिलिपि: योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.12.14
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5830 /कृ0, पटना, दिनांक 24-12-2014

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.12.14
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनिल कुमार

D:\2014-15 Sanlekh\2014-15\Agriculture Colleges\Agri College, Purnea.doc

ज्ञापांक 5830 / कृ0, पटना, दिनांक 24-12-2014

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5830 / कृ0, पटना, दिनांक 24-12-2014

प्रतिलिपि: उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/ सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

24.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनल कुमार झा